



संख्या : /जी०एस०/शिक्षा/A3-57/2018

प्रेषक,

डॉ रंजीत कुमार सिन्हा,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में

कुलसचिव,
कुमारौ विश्वविद्यालय,
नैगीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय: उत्तराखण्ड
महोदय

देहरादून: दिनांक / २ अक्टूबर, 2021

कृपया अपने पत्र संख्या: 2461/वी०सी०/मान्यता/सम्बद्धता/2020-21 दिनांक 11.01.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का काष्ट भारे जिसके माध्यम से देवभूमि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, चूना भट्टा रोड, बनबसा (चम्पावत) को वी०ए० पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2020-21 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव संस्तुति के साथ इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2- शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निरीक्षण मण्डल, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-३७ (२) के अन्तर्गत महाविद्यालय को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अधियि की अस्थाई सम्बद्धता के सम्बन्ध में ना० कुलाधिपति द्वारा कार्यात्मक स्वीकृति सत्र दर सत्र के आधार पर निम्न उपबन्ध के साथ प्रदान किया गया है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता की बदलि
1	2	3	4	5
1.	देवभूमि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, चूना भट्टा रोड, बनबसा (चम्पावत)	वी०ए०	100 सीट	सत्र 2020-21

1- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद्, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्त्वावधारी कृत कार्रवाई की सूचना ना० कुलाधिपति के अध्यात्मर्थ उपलब्ध करायें।

2- विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् अपनी आवश्यकता एवं विश्वविद्यालय के दृष्टिगत छात्र हित में U.G.C/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

3- अध्यत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव समसय निर्धारित समय सारिणी के अनुसार मानक पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे। तदनुसार अध्यत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

मवदीय

(डॉ रंजीत कुमार सिन्हा)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : २१०२ (१)/जी०एस०/शिक्षा/A3-57/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रदर्शक, देवभूमि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, चूना भट्टा रोड, बनबसा (चम्पावत)।
4. कम्यूटर प्रकाश्ट/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा सं

३०/१८

(न००५० पंखरियाल)
कुलाधिपति के उपसचिव।